रजिस्ट्री स. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 65] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 1994/कार्तिक 13, 1916
No. 65] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 1994/KARTIKA 13, 1916

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवंबर, 1994

आं. अ. 129(अ).—निर्वाचन आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परन्तुक द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां प्रारूप निर्वाचक नामावलियां 3 अक्तूबर, 1994 को प्रकाशित हुई थी, 21 नवम्बर, 1994 तक एतद्द्वारा अवधि बढ़ाता है जिसके भीतर निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए और उसमें की गई किसी प्रविष्टि के प्रत्येक आक्षेप के लिए दावे दाखिल किए जायेंगे।

[सं. 23/जम्मू-कश्मीर/94]

आदेश से और भारत निर्वाचन आयोग के नाम से
घनश्याम खोहर, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 1994

O.N. 129(E).—In exercise of the powers conferred on it by the proviso to rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, the Election Commission hereby extends the period upto 21st November, 1994, in respect of all the parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir, where draft electoral rolls were published on the 3rd October, 1994, within which every claim for the inclusion of a name in the electoral roll and every objection to an entry therein, shall be lodged.

[No. 23/J&K/94]
By order and in the name of
Election Commission of India
GHANSHYAM KHOHAR, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994